



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062024-254664
CG-DL-E-12062024-254664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2150]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2024/ज्येष्ठ 22, 1946

No. 2150]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2024/JYAISHTHA 22, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

का.आ. 2252(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन निवारण अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे सारणी में उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाई आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा मानकों का पालन करेंगी और ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, आधार अधिनियम, की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और समुचित विनियामक, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक, से परामर्श करने के पश्चात् उक्त रिपोर्टकर्ता इकाई को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन करने के लिए अनुज्ञात करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	रिपोर्टकर्ता इकाई
(1)	(2)
1.	इफको किसान फाइनेंस लिमिटेड
2.	एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड
3.	व्हील्स ईएमआई प्राइवेट लिमिटेड ।

[फा. सं. पी-12011/11/2021-ईएस सेल-डीओआर-भाग(1)]

रिमझिम पांडे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2024.

S.O. 2252(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government on being satisfied that the reporting entities mentioned in the TABLE below comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Aadhaar Act), and it is necessary and expedient to do so, after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator, namely, the Reserve Bank of India, hereby permits the said reporting entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

TABLE

Serial number	Reporting entities
(1)	(2)
1.	IIFCO Kisan Finance Limited
2.	L&T Finance Limited
3.	Wheels EMI Private Limited.

[F. No. P-12011/11/2021-ES Cell-DOR-Part(1)]

RIMJHIM PANDEY, Under Secy.